



Neutral Citation No.2026:AHC:2555

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या-44665 वर्ष 2025

प्रमोद कुमार उर्फ बिट्टू आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य प्रतिपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता: सचिन कुमार, संजीव कुमार, उमेश चंद्र शुक्ला

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय सं - 66

माननीय न्यायमूर्ति श्री कृष्ण पहल

1. सूची को संशोधित किया गया है।
2. श्री अमित डागा, वरिष्ठ अधिवक्ता श्री संजीव कुमार, आवेदक के अधिवक्ता, श्री संजय कुमार शर्मा, सूचनाकर्ता के अधिवक्ता के साथ-साथ श्री सुनील कुमार, राज्य के लिए अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना और अभिलेखों का अवलोकन किया।
3. आवेदक केस अपराध संख्या-287 वर्ष 2025, धारा 191(2), 103(1) और 61(2) बी.एन.एस., थाना-नौगावान सादत, ज़िला: अमरोहा के तहत मुकदमे के लंबित रहने के दौरान जमानत मांगता है।
4. आवेदक के अधिवक्ता द्वारा यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसी तरह के सह-आरोपी व्यक्ति, अंकुर को इस न्यायालय द्वारा 2025 के आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या-42730 में पारित दिनांक 11.12.2025 के आदेश द्वारा पहले ही जमानत पर रिहा किया जा चुका है। आवेदक 23.9.2025 से जेल में बंद है, जिसका एक मामले का आपराधिक इतिहास है, जिसकी व्याख्या की गई है। उन्होंने आगे कहा कि चूंकि आवेदक की भूमिका सह-अभियुक्त के समान है, जिसे पहले ही जमानत पर रिहा कर दिया गया है, इसलिए वह समानता के आधार पर जमानत पर रिहा किये जाने का भी हकदार है।
5. जमानत के लिए प्रार्थना का अपर शासकीय अधिवक्ता हालांकि, सह-आरोपी के साथ समानता के उपरोक्त तथ्यात्मक पहलुओं पर उनके द्वारा विवाद नहीं किया गया है।
6. प्रभाकर तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य, (2020) 11 एस.सी.सी. 648 के मामले में, उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि एक आरोपी के खिलाफ कई आपराधिक मामलों का लंबित होना अपने आप में जमानत से इनकार करने का आधार नहीं हो सकता है।
7. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, पक्षों के अधिवक्ता द्वारा की गई प्रस्तुतियाँ, अभिलेखों पर साक्ष्य, और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, न्यायालय का विचार है कि



आवेदक ने समानता के आधार पर ज़मानत के लिए मामला बनाया है। ज़मानत आवेदन को समानता के आधार पर अनुमति दी जाती है।

8. उपरोक्त मामले के अपराध संख्या-में शामिल आवेदक- प्रमोद कुमार उर्फ बिट्टू को निम्नलिखित शर्तों के अधीन संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए एक व्यक्तिगत बांड और दो भारी ज़मानतदार प्रस्तुत करने पर ज़मानत पर रिहा किया जाए।

- i. आवेदक मुकदमे के दौरान सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
- ii. आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाह पर दबाव नहीं डालेगा/डराएगा।
- iii. आवेदक निर्धारित तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष पेश होगा, जब तक कि व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट न दी जाए।
- iv. ज़मानत पर रिहा होने के बाद आवेदक किसी भी आपराधिक गतिविधि या किसी भी अपराध में शामिल नहीं होगा।
- v. आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा ताकि उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी को ऐसे तथ्यों का खुलासा करने या सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने से रोका जा सके।

9. उपरोक्त शर्तों में से किसी के उल्लंघन के मामले में, अभियोजन पक्ष इस न्यायालय के समक्ष ज़मानत रद्द करने के आवेदन को स्थानांतरित करने के लिए स्वतंत्र होगा।

10. बांड स्वीकार करने से पहले आवेदक और ज़मानतदार की पहचान, स्थिति और निवास प्रमाण को संबंधित न्यायालय द्वारा सत्यापित किया जाना चाहिए।

11. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को ज़मानत देने में की गई टिप्पणियों से गवाहों की गवाही पर अपनी स्वतंत्र राय बनाने में विचारण न्यायाधीश किसी भी तरह से प्रभावित नहीं होगा।

जनवरी 7, 2026

शालिनी

(न्यायमूर्ति कृष्ण पहल)